>

Title: Need to address the problem of Child Labourers in the country.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, कल का भारत जिस नई पीढ़ी पर निर्भर है, उसकी दयनीय दशा की स्थिति की तरफ मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में आज बालक-बालिकाओं की क्या स्थिती है, इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की 2011 की ताज़ा रिपोर्ट में है। भारत उन अग्रणी देशों में है, जिसने 20 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार सम्मेलन में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मामले में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली थी।

भारत में आज किशोरवय के बच्चों की संख्या करीब 24 करोड़ 30 लाख है। इनमें लगभग 47 प्रतिशत किशोरियां कुपोषण और औसत से कम वजन की शिकार हैं तथा पूरे विश्व में कुपोषण की शिकार सर्वाधिक लड़कियां भारत में हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के आर्थिक विकास के बड़े दावों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2010 की लिंग असमानता अनुसूची में 169 देशों की रैंकिंग में भारत 119वें पायदान पर है।

आज भारत में किशोरवय के बच्चे सामाजिक-आर्थिक अंधेरे से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। बाल-मजदूरी, समाज में अलग-थलग, कम उम्र में विवाह, शिक्षा का अभाव, गर्भावस्था में ही किशोरियों की मृत्यु जैसी स्थितियां आधुनिक भारत के लिए कलंक हैं। आज भारत में एक तरफ गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के शिकार किशोर हैं तो दूसरी तरफ आधुनिक सुख-सुविधाओं से संपन्न होते हुए अकेलेपन से जूझते किशोर हैं। ये आज चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं तथा इन पर काबू पाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि जब देश में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श चल रहा है। यह उपयुक्त समय है, जब किशोरों का भविष्य संवारने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम तैयार कर समुचित बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि कल के भारत का उत्तरदायित्व आज की इस पीढ़ी के ही कंधों पर होगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।